

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143320
जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
प्रतापगढ़।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यो के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आंगनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आंगनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यो की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।


143321-23

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143324

जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
टोंक।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आंगनबाड़ी भवन निर्माण व पट्टो की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आंगनबाड़ी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. RTE-SHG के भूगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।


क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143325-27

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 143316 जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
सिरोही।

विषय:—कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यो के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आंगनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आंगनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।

लक्ष्यो की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।


143317-19

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 ¹⁴³³¹² जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
सवाई माधोपुर।

विषय:—कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण में अनुशासनात्मक की स्थिति असंतोषजनक है।
2. आंगनबाड़ी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिति असंतोषजनक है।
3. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति असंतोषजनक हैं।
4. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू की स्थिति असंतोषजनक है।
5. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
6. अक्रियशील आंगनबाड़ी की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
7. ODK Collect app व की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
8. RTE-SHG के भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
9. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।


143313-15

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 143308 जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
अजमेर।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कांफ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आंगनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू. की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आंगनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
8. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

143309-11 राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 25-10-16

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 /43304 जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
8. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ


143305-07 राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 25-10-16

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013¹⁴³³⁰⁰ जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां।

विषय:—कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू. की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
8. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।


143301-03

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

7. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

143296

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
बीकानेर।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आंगनबाड़ी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
4. अक्रियशील आंगनबाड़ी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
7. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ


राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 25-10-16

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143292

जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
भरतपुर।

विषय:-कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ-गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:-

1. आंगनबाड़ी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिति असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति असंतोषजनक हैं।
3. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
4. अक्रियशील आंगनबाड़ी की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
5. ODK Collect app की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
6. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिति असंतोषजनक है।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 25-10-16

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143293-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गॉधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143288

जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
दौसा।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यो के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम. ओ. यू. की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
8. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
9. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 25-10-16

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143289-91

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

143284

जयपुर, दिनांक 25-10-16

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
धौलपुर।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यो के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आंगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण में अनुशासनात्मक की स्थिती असंतोषजनक है।
2. आंगनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
3. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
4. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू. की स्थिती असंतोषजनक है।
5. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. अक्रियशील आंगनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
8. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
9. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
10. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यो की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

143285-87

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रतिभा

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 ¹⁴³²⁸⁰ जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
झालावाड।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
4. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिती असंतोषजनक है।
8. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

143281-83

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013

जयपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 143276 जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
पाली।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यो के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. मानदेयकर्मीयों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
4. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. ODK Collect app की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यो की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 143277-79 जयपुर, दिनांक 25-10-16
प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 /43268 जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
सीकर।

विषय:—कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिति असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति असंतोषजनक हैं।
3. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
4. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
5. ODK Collect app की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं।
6. अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना की स्थिति असंतोषजनक है।
7. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 /43269-71 जयपुर, दिनांक 25-10-16
प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013/43272 जयपुर, दिनांक 25-10-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजसमन्द।

विषय:—कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ—गत माह की उपलब्धी की समीक्षा में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.10.2016 को आयोजित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके जिले की लक्ष्यों के अनुपात में प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:—

1. आगंनबाडी भवन निर्माण व पट्टों की स्थिती असंतोषजनक है।
2. भवन निर्माण के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिती असंतोषजनक हैं।
3. नन्द घर योजना में एम.ओ.यू. की स्थिती असंतोषजनक है।
4. मानदेयकर्मियों के चयन की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
5. अक्रियशील आगंनबाडी की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
6. ODK Collect app के की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
7. RTE-SHG के भुगतान की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं।
8. मातृ एवं अन्नपूर्णा समितियों से अग्रिम राशी की वसूली संतोषजनक नहीं हैं।

लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धी का कम होने के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में सुधार की आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।


(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013/43273-75 जयपुर, दिनांक 25-10-16
प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)